संख्या:-8-एक(5)/न्याय विभाग/2003

प्रेषक,

बी. लाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

श्री राम सिंह,
सदस्य-सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
उत्तरांचल उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल ।

न्याय विभाग

देहरादून:दिनांक: 28 जून, 2003

विषय:- उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन किये जाने विषयक ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या:-29/2003-2004-रा.वि.से.प्रा.-नै-अध्यक्ष-पद, दिनांक 24.4.2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ने शासनादेश संख्या-106-एक/न्याय अनुभाग/2002, दिनांक 1.5.2001 द्वारा सृजित पदों के अतिरिक्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरांचल, नैनीताल हेतु निम्नलिखित 2 अस्थाई संवर्गीय पदों को शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद भरे जाने की तिथि जो भी बाद में हो से दिनांक 29.2.2004 तक, बशर्ते ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाए, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	चालक	1	रुपये 3050-75-3950-80-4590
2	चपरासी/अर्दली	1	रुपये 2550-55-2660-60-3200
कुल योग		2	

2- उक्त पदधारकों को उक्त पद के वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुमन्य किये गये मंहगाई व अन्य भत्ते भी देय होगे ।

3- उक्त पदों के सृजन के फलस्वरुप तद्विषयक संवर्ग में अस्थाई अभिवृद्धि के रुप में मानें जायेगें ।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-05-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण-00" के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-145/वित्त अनुभाग-3/2003, दिनांक 27.6.03 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(बी. लाल)
सचिव ।

संख्या:- 8-एक(5)(1)/न्याय विभाग/2003-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय मोटर बिल्डिंग, मोजरा, देहरादून ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3- वित्त अनुभाग-3/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(यू.सी.ध्यानी)
अपर सचिव ।

संख्या:5 एक(5)/छत्तीस(1)/न्या.अनु./2005

प्रेषक,

यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्रधिकरण,
उत्तरांचल, देहरादून ।

न्याय अनुभाग : देहरादून : दिनांक: 11 फरवरी, 2005

विषय: राज्य विधिक सेवा प्रधिकरण, हेतु एक अतिरिक्त वाहन चालक के पद सृजन किये जाने विषयक ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या:521/डी.एल.एस.ए/2004 दिनांक 25 11 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल शासनादेश संख्या 106 एक/ न्यायविभाग /2002, दिनांक 01.05.2002 एवं शासनादेश संख्या 8 एक(5)/न्यायविभाग/2003 दिनांक 23 06 2003 के द्वारा सृजित विभिन्न श्रेणी के पदों के अतिरिक्त राज्य विधिक सेवा प्रधिकरण, देहरादून हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवटित वाहन के सचांलन हेतु वाहन चालक का एक अस्थायी संवर्गीय पद वेतनमान रु0 3050 75 3950 80 4590 में शासनादेश निर्गत होने की तिथि या पद भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 02 2005 तक बशर्ते कि ये इसके पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के इसके पूर्व ही समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2 उक्त पद के पदधारक को शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार महंगाई एवं अन्य भत्ते आदि, जो उन्हें अनुमन्य हों, भी देय होंगे ।

3 उक्त पद के सृजन के फलस्वरूप तदबिषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माना जायेगा ।

4 उक्त पद के वेतन आदि के लिए निम्नलिखित मदों में रु 24000/ (रुपये चौबीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आबंटन की भी महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

कम.सं.	मद का नाम	धनराशि(रुपये हजार में)
1	01 वेतन	12
2	03 मंहगाई भत्ता	3
3	06 अन्य भत्ते	3
4	48 मंहगाई वेतन	6
	योग (रुपये चौबीस हजार मात्र)	24

5 इस पद पर तैनाती यथासंभव प्रतिनियुक्ति/रिडिप्लायमेन्ट/फालतू कर्मचारियों को नियुक्त कर किया जायेगा ।

6 उक्त पद के सृजन के फलस्वरुप तदविषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रुप में मानें जायेगें ।

7 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2004 05 के आय व्ययक के अनुदान संख्या 04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014 न्याय प्रशासन 00 आयोजनेत्तर 800 अन्य व्यय 05 राज्य विधिक सेवा प्रधिकरण 00" के ऊपर प्रस्तर 4 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

8 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 258/वित्त अनुभाग 3/2005, दिनांक 8 02 05 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

Dhyani 10/2

(यू0सी0ध्यानी)
सचिव ।

संख्या :5 एक(5)/छत्तीस(1)/न्या.अनु./2005 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1 महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
2 वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3 वित्त अनुभाग 3/एन0आई0सी0/गाई फाईल ।

आज्ञा से,

(आर0डी0पालीवाल)
अपर सचिव ।